प्रारूप–घ

{ मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक)}

न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना (म0प्र0)

(समक्ष :– रीतिका (मिश्रा) पाठक)

Registration No -	**1491/2021**
Filing No -	**3621/2021**
Filing Date -	**25-10-2021**
CNR No -	**MP3501-004051-2021**
Date of Registration -	**25-10-2021**
FIR No.-	**869/2021**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना कोतवाली जिला पन्ना म.प्र. ....**अभियोजन**

–:: विरूद्ध ::–

1. जयपाल सिंह पिता कृपाल सिंह राजगौड़, उम्र–37 वर्ष,
2. प्रीतम सिंह पिता कृपाल सिंह राजगौड़, उम्र–27 वर्ष

दोनों निवासी–सरकोहा, थाना कोतवाली पन्ना, जिला–पन्ना (म.प्र.) ....**अभियुक्तगण**

सुश्री कमलेश राजपूत, अधिवक्ता ....**प्रतिनिधित्व द्वारा**

प्रारूप–ङ

अपराध की तारीख	**08.10.2021**
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	**08.10.2021**
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	**25.10.2021**
आरोपों के विरचना की तारीख	**25.01.2022**
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	**19.04.2022**
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	**13.11.2025**
निर्णय की तारीख	**14.11.2025**
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	**14.11.2025**

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्तगण के नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	जयपाल सिंह	निरंक	निरंक	294, 323, 506 भाग–दो भा.द.सं.	दोषसिद्धि	धारा 323 भा.द.सं. में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं धारा 357(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत में 4,000/– रूपये का प्रतिकर तथा प्रतिकर अदा न किए जाने पर व्यतिक्रम के लिए तीन माह का कारावास।	निरंक
02.	प्रीतम सिंह	निरंक	निरंक	294, 323, 506 भाग–दो भा.द.सं.	दोषसिद्धि	धारा 323 भा.द.सं. में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं धारा 357(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत में 4,000/– रूपये का प्रतिकर तथा प्रतिकर अदा न किए जाने पर व्यतिक्रम के लिए तीन माह का कारावास।	निरंक

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.01	अरविंद सिंह यादव	फरियादी साक्षी
अ.सा.02	श्रीमती गुड़िया यादव	चक्षदुर्शी साक्षी
अ.सा.03	सुरेन्द्र सिंह यादव	चक्षुदर्शी साक्षी

अ.सा.04	डॉ. आर.के. ठाकुर	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.05	सहायक उपनिरीक्षक विक्रम सिंह	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी.01/अ.सा.–01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02 /अ.सा.–01	घटनास्थल का नक्शामौका
03	प्रदर्श पी.03, 04/अ.सा.–03	जप्ती पत्रक
04	प्रदर्श पी.05/अ.सा.–04	फरियादी की एमएलसी रिपोर्ट

ख. प्रतिरक्षा–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं–

सं.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
01	निरंक	निरंक

थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्रमांक 869/2021 अन्तर्गत धारा 294 323, 506, 34 भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण।

—:: निर्णय ::—

(दिनांक—14.11.2025 को घोषित)

1. अभियुक्तगण जयपाल सिंह एवं प्रीतम सिंह के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की **धारा—294, 323 एवं 506 भाग—दो** के तहत इस आशय का दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.10.2021 को समय दोपहर 15:00 बजे थाना कोतवाली पन्ना अंतर्गत ग्राम सरकोहा में स्थित खैराई हार का खेत में लोकस्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वाले लोगों को क्षोभकारित किया, उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव की डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है, कि दिनांक 08.10.2021 को फरियादी अरविंद सिंह यादव ने थाना कोतवाली पन्ना में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 08.10.2021 को दोपहर 03:00 बजे अपनी पत्नी और भाई के साथ खैराई हार के खेत गया था तभी गांव के जयपाल सिंह आदिवासी और प्रीतम सिंह आदिवासी पुरानी बुराई पर से एकाएक मादरचोद, भोसडीवाले की गाली देते हुए लाठी डण्डा से उसे मारने लगे, जयपाल ने एक डण्डा उसके पीछे तरफ जांघों में मारा और दूसरा डण्डा प्रीतम सिंह आदिवासी ने मारी, जो उसकी बायीं पैर के जांघ में लगा और एक दो डण्डा उसकी पीठ में मारे, वह चिल्लाया तब गांव का सुरेन्द्र यादव व उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया था, दोनों जाते हुए बोल रहे थे कि अगर थाना

रिपोर्ट को गये तो जान से खत्म कर देंगे।

3. अभियोजन का पक्ष आगे यह भी रहा है कि, फरियादी के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पन्ना में अपराध क्रमांक 869/2021 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। जप्ती पत्रक अनुसार अभियुक्तगण से लकडी के डण्डे जप्त किये गये। घटना स्थल का मौकानक्शा बनाया गया एवं संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर धारा–294, 323, 506 भाग–दो भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने अपराध करने से इन्कार किया है और प्रतिरक्षा में उनका कहना है, कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में उनकी ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है :–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.10.2021 को समय दोपहर 15:00 बजे थाना कोतवाली पन्ना अंतर्गत ग्राम सरकोहा में स्थित खैराई हार का खेत में लोकस्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वाले लोगों को क्षोभकारित किया?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव की डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने

की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 व 03 पर सकारण निष्कर्षः–

6. उक्त विचारणीय प्रश्न समान तथ्यो के होने के कारण एवं साक्ष्य का दोहराव रोकने के लिये उक्त विचारणीय प्रश्नो का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं.की धारा–294 का प्रश्न है, इस संबंध में फरियादी अरविंद सिंह यादव अ.सा.–01 ने अपने कथनों में कथित घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा मादरचोद, भोसड़ीवाले की गाली देना बताया है, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से उन्हें कोई क्षोभ कारित होने संबंधी कोई कथन नहीं किये है। अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य साक्षीगण श्रीमती गुड़िया यादव अ.सा.–02 एवं सुरेन्द्र सिंह यादव अ.सा.–03 ने अभियुक्तगण द्वारा मां–बहन की गाली देना बताया है, किन्तु उक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है कि वस्तुतः अभियुक्तगण द्वारा गालियों के रूप में किन अश्लील शब्दों का उपयोग किया था। उक्त साक्षीगण ने ऐसे कथन भी नहीं किये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा दी गई उक्त गालियों से उन्हें क्षोभकारित हुआ था और उक्त गालियां सुनने में उन्हें बुरी लगी थीं।

8. उक्त आलोक में न्यायदृष्टांत **रामस्नेही विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. आई.एल.आर. 2024 एम.पी. शॉर्ट नोट 166** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि– दण्ड संहिता की धारा–294– वास्तविक रूप से बोलचाल की भाषा में इस प्रकार की गाली गलौच अक्सर प्रयोग की जाती है इसलिए इन्हें शाब्दिक अर्थ में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गाली गलौच को कोई शाब्दिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। भा.दं.सं. की धारा–294 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का मुख्य तत्व क्षोभ कारित होना है। चूंकि किसी अभियोजन साक्षी ने क्षोभ कारित होने के बारे में कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया है। अतः भा.दं.सं. की धारा–294 के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है।

9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भा.दं.सं. की धारा–294 के अपराध का प्रमुख तत्व क्षोभ है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर आयी अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण के फरियादी अरविंद सिंह यादव अ.सा.–01 के कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभिकथित गालियों से प्रयोग से उसे क्षोभ कारित हुआ था या अभिकथित प्रयुक्त शब्द उसे बुरे लगे थे। उक्त सम्बंध में यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में अभिकथित प्रकार के शब्दो का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाता है। ऐसी दशा में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अभिकथित शब्दों के प्रयोग से फरियादी/आहत को किसी प्रकार का क्षोभकारित हुआ था। अतः अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के विरूद्ध अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए उसे क्षोभ कारित किया गया है।

10. भा.दं.सं. की धारा–506 भाग–दो के आरोप के संबंध में फरियादी अरविंद सिंह यादव अ.सा.–01 ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण जाते–जाते कह रहे थे कि यदि मादरचोद रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे।

11. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्यायदृष्टांत **विकम जौहर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य ए.आई.आर. 2019 एस. सी. 2019** अवलोकनीय है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धमकी फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से होनी चाहिये–मात्र कुछ शब्दों की अभिव्यक्ति पर्याप्त नहीं है–अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिये सामग्री होनी चाहिये कि आशय फरियादी को संत्रास कारित करने का आशय रहा है।

12. अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में न्यायालयीन अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी अरविंद सिंह यादव द्वारा घटना के तुरंत बाद थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट लेख

करायी गयी है। यदि अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से आहत को कोई भय या संत्रास कारित हुआ होता तो निश्चित रूप से वह न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान इस तथ्य को प्रकट करते जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार फरियादी द्वारा लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस सम्बंध में कोई तथ्य लेख न किया जाना कि अभिकथित धमकी से वह भयभीत हो गयी था, इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि उक्त प्रकार की धमकी से फरियादी के मन मस्तिष्क पर किसी प्रकार कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा है। अतः यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गई धमकी से फरियादी को संत्रास कारित हुआ था। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 पर सकारण निष्कर्षः–

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में फरियादी अरविंद सिंह यादव अ.सा.–01 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि घटना न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ़ दो वर्ष पहले की है। घटना दिनांक को दोपहर दो–तीन बजे वह अपनी भैंसों को चराने के लिए जंगल गया था, जहां आरोपीगण ने धोखे से उसके साथ मारपीट की थी। जब वह अपने बचाव के लिए चिल्लाया तो पास ही उसका भाई और पत्नी जो अपने खेत में काम कर रहे थे, दौड़कर आये और बीच–बचाव किया। इसके बाद उसने थाना कोतवाली में आरोपीगण के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट प्र.पी 01 लेख कराई थी। पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसकी निशादेही में घटना का नक्शामौका प्र.पी 02 तैयार किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके कथन लेख किये थे। फरियादी के उक्त कथनों का समर्थन श्रीमती गुड़िया यादव अ.सा.–02 एवं सुरेन्द्र सिंह यादव अ.सा.–03 ने किया है।

14. आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले डॉ. आर.के. ठाकुर अ.सा.–04 ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में दिनांक 08.10.2021 को आहत अरविंद सिंह यादव के चिकित्सकीय परीक्षण में अग्रलिखित चोटें पाई थी–चोट क्रमांक 01–जांघ के मध्य

में पार्श्व भाग पर 6 गुणा 2.5 सेमी की लालिमायुक्त सूजनदार चोट, चोट क्रमांक 02–जांघ के मध्य में पार्श्व भाग पर 5.5 गुणा 2.5 सेमी की लालिमायुक्त सूजनदार चोट, चोट क्रमांक 03–बायें जांघ के पश्च भाग पर 7 गुणा 3 सेमी की लालिमायुक्त सूजन चोट, चोट क्रमांक 04–आहत पीठ में दर्द होना बता रहा था, किन्तु कोई दिखने योग्य चोट नहीं थी। चिकित्सकीय साक्षी ने यह अभिमत दिया है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कड़े एवं भौथरे वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। चोटों की अवधि परीक्षण से 12 घण्टे के अंदर की थीं। आहत की एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी 05 है।

15. प्रकरण में सम्पादित विवेचना कार्यवाही के सम्बंध में सहायक उपनिरीक्षक विक्रम सिंह अ.सा.–05 ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य मे दिनांक 08.10.2021 को फरियादी अरविंद सिंह यादव के बताए अनुसार थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्र. 869/2021 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी 01 दर्ज किया जाना, फरियादी का एमएलसी फार्म भरकर उसे मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जाना, फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी 02 तैयार किया जाना एवं फरियादी अरविंद सिंह यादव, साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव, श्रीमती गुड़िया सिंह यादव से पूछताछ कर उनके कथन लेख किया जाना तथा आरोपीगगण जयपाल सिंह व प्रीतम सिंह से एक एक लकडी का डण्डा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी 03 एवं 04 तैयार किया जाना बताया है। आरोपीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें धारा 41क द.प्र.सं. का नोटिस देकर पाबंद किया गया था।

16. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रकरण के साक्षीगण एक ही परिवार के हैं। फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से पुरानी जमीनी बुराई होने के कारण फरियादी ने अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

17. अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि पुरानी बुराई पर से रंजिशन झूंठी रिपोर्ट लेख करायी गयी। उक्त तर्क के आलोक में यहां यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक दोधारी तलवार होती है अर्थात् रंजिशन झूठी रिपोर्ट भी की जा सकती है और रंजिशन घटना भी कारित की जा सकती है। रंजिश को प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में कलेक्टर पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना को दी गई शिकायत अभिलेख पर प्रस्तुत की गई, परन्तु बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं कराया गया है, न ही उक्त दस्तावेजों के सम्बंध में किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है, ऐसी दशा में दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नही किये जा सकते। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रकरण में उन्हें झूंठा फंसाया गया है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसा दिया गया है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अरविन्द सिंह यादव अ.सा.–01 के द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान स्पष्टतः बताया है कि घटना दिनांक को वह अपनी भैंसों को चराने के लिए जंगल गया था, जहां अभियुक्तगण ने धोखे से उसके साथ मारपीट की थी तथा जब वह चिल्लाया तो पास ही उसका भाई और उसकी पत्नी जो अपने खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने बीच–बचाव किया था, जिसकी पुष्टि गुड़िया यादव अ.सा.–02 एवं सुरेन्द्र सिंह यादव अ.सा.–03 ने भी किया है। यद्यपि फरियादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं बताये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा की गई मारपीट से उसे कहां चोटें आई थीं, किन्तु यदि फरियादी अरविन्द सिंह यादव का प्रतिपरीक्षण देखें, तो उससे यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार करते हुए फरियादी अरविन्द अ.सा.–01 ने बताया है कि मारपीट से उसे पैरों एवं पीठ में चोट आई थी, प्रतिपरीक्षण के दौरान ही साक्षी अरविन्द अ.सा.–01 ने यह भी बताया है कि उसके साथ डण्डे

से मारपीट की थी। इस प्रकार फरियादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथन एवं प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये सुझाव से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा फरियादी अरविन्द सिंह यादव की लाठी डण्डे से मारपीट की गई थी, जिसमें उसे पैर एवं पीठ में चोट आई थी।

19. इस सम्बंध में यदि आहत अरविन्द सिंह यादव का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले साक्षी डॉ. आर.के. ठाकुर अ.सा.–04 की साक्ष्य को देखें, तो घटना दिनांक 08.10.2021 को ही उनके द्वारा आहत अरविन्द सिंह यादव का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आहत अरविन्द सिंह यादव को चोट क्रमांक 01–जांघ के मध्य में पार्श्व भाग पर 6 गुणा 2.5 सेमी की लालिमायुक्त सूजनदार चोट, चोट क्रमांक 02–जांघ के मध्य में पार्श्व भाग पर 5.5 गुणा 2.5 सेमी की लालिमायुक्त सूजनदार चोट, चोट क्रमांक 03–बायें जांघ के पश्च भाग पर 7 गुणा 3 सेमी की लालिमायुक्त सूजन चोट, चोट क्रमांक 04–आहत पीठ में दर्द होना बता रहा था, किन्तु कोई दिखने योग्य चोट नहीं थी। चिकित्सकीय साक्षी ने यह अभिमत दिया है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कड़े एवं भौथरे वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार डॉ. आर.के. ठाकुर अ.सा.–04 की उक्त साक्ष्य एवं प्रमाणित किये गये चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्र.पी 05 से फरियादी के कथनों की पुष्टि होती है कि अभियुक्तगण द्वारा लाठी जैसे सख्त एवं भौथरे हथियार से फरियादी को पैर के जांघ में एवं पीठ में लाठी से उसे उक्त चोटें कारित की गई हैं। डॉ. आर.के. ठाकुर अ.सा.–06 द्वारा अपनी न्यायायलीन साक्ष्य के दौरान आहत की एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी 05 को विधिवत् प्रमाणित किया है, जिसका कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

20. इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी 01, नक्शामौका प्र.पी 02, जप्ती पत्रक प्र.पी 03, 04 के बिन्दु पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी विक्रम सिंह अ.सा. –05 तथा उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के बिन्दु पर उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य भी प्रमाणिक एवं विश्वसनीय प्रकृति की है।

उनकी साक्ष्य को भी बचाव पक्ष खण्डित नहीं कर पाया है। इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर फरियादी अरविन्द सिंह यादव अ.सा.–01 के द्वारा न्यायलयीन कथनों में अभियोजन के मामले के अनुरूप कथन करते हुए यह बताया है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा उसे लाठी, डण्डे से मारा जाना बताया है, जिस तथ्य की पुष्टि घटना के तुरंत पश्चात् लेख कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी 01 से भी होती है। साथ ही साथ घटना के समय मौके पर उपस्थित साक्षीगण गुड़िया अ. सा.–02 एवं सुरेन्द्र सिह यादव अ.सा.–03 ने भी घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य के सम्बंध में बताया है, जिसमें से साक्षी गुड़िया अ.सा.–02 घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी प्राप्त की है तथा साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव घटनास्थल का सीमावर्ती कृषक है, जिसने अपने खेत से घटना होते स्वयं देखी है, उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय रहे हैं। उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य तथा घटना दिनांक को फरियादी के चोटों के सम्बंध में हुई एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी 05 से अभिकथित मारपीट की घ टना की पुष्टि होती है।

21. ऐसी दशा में अभिलेख पर आई उक्त साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण जयपाल सिंह एवं प्रीतम सिंह ने कथित घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत अरविन्द सिंह यादव के साथ लाठी से मारपीट कर उसे उपहति कारित की है।

22. बचाव पक्ष के द्वारा साक्ष्य के माध्यम से ऐसा कोई तथ्य स्थापित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को कारित की गयी उक्त उपहति अचानक प्रकोपन के अध्यधीन रहते हुए या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कारित की गयी थी, उक्त दशा में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया

साधारण उपहति कारित की गयी थी। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में दिया जाता है।

23. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट है, कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 08.10.2021 को समय दोपहर 15:00 बजे थाना कोतवाली पन्ना अंतर्गत ग्राम सरकोहा में स्थित खैराई हार का खेत में लोकस्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वाले लोगों को क्षोभकारित किया। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **जयपाल सिंह एवं प्रीतम सिंह** को **धारा–294 एवं 506(भाग–दो) भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त** किया जाता है। परन्तु अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में **सफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अरविंद सिंह यादव की डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **जयपाल सिंह एवं प्रीतम सिंह** को धारा **323** भा.द.सं. के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

24. अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के संबंध में इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये है कि अभियुक्तगण घटना दिनांक को परिपक्व आयु के व्यक्ति होकर अपने कृत्य एवं उसके परिणाम को भली–भांति समझने हेतु सक्षम थे और उनके द्वारा फरियादी की मारपीट करने से उसे उपहति होने का तथ्य प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता है।

25. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

मेरे बोलने पर टंकित।

(रीतिका मिश्रा पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पन्ना(म0प्र0)

26. दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता को एवं अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उसके अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियुक्तगण को कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर जुर्माने से दण्डित किया जावे, क्योंकि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध हैं एवं अभियुक्तगण मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं एवं वह विगत 04 वर्ष से प्रस्तुत मामले में उपस्थित् होते रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को सांकेतिक दण्ड से दण्डित किया जावे, जबकि ए.डी.पी.ओ. ने अभियुक्तगण को निर्धारित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

27. दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन पश्चात् यह पाया जाता है, कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्तगण लगभग 04 वर्ष से विचारण का सामना कर रहे है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण अभियुक्तगण एवं फरियादी/आहत के मध्य पारिवारिक झगड़ा है ऐसी दशा में यदि अभियुक्तगण को कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है तो उनके मध्य पारिवारिक वैमन्यता बढ़ जाएगी, किन्तु प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ लाठी डण्डे से मारपीट की थी, जिससे उसे उक्त प्रकृति की चोटें कारित हुई हैं। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को कारावास की सजा से दण्डित न करते हुए अभियुक्तगण जयपाल सिंह एवं प्रीतम सिंह को

भा0दं0सं0 की धारा–323 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है।

28. प्रकरण के अवलोकन एवं प्रकरण में फरियादी को आई चोटें को दृष्टिगत रखते हुए धारा 357(3) द.प्र.सं./395(3) बी.एन.एस.एस. के प्रावधान के आलोक में अभियुक्तगण जयपाल सिंह एवं प्रीतम सिंह पर 4,000/–4,000/– रूपये का प्रतिकर अधिरोपित किया जाता है। उक्त प्रतिकर के व्यतिक्रम में तीन–तीन माह का कारावास भुगताया जावे।

29. अभियुक्तगण द्वारा अदा की गई प्रतिकर की राशि कुल 8,000/– रूपये फरियादी अरविन्द सिंह यादव को अपीलावधि पश्चात् प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

30. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

31. अभियुक्तगण के द्वारा न्यायिक निरोध में बितायी गयी अवधि यदि कोई हो तो उसके संबंध में दं0प्र0सं0 की धारा–428 के तहत प्रमाण–पत्र बनाया जाकर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

32. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति दो बांस के डण्डे अपीलावधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य रहेंगे।

33. निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

दिनांकः–14.11.2025, पन्ना म.प्र.।

निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित।	मेरे बोलने पर टंकित।
(रीतिका मिश्रा पाठक) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना(म.प्र.)	**(रीतिका मिश्रा पाठक)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना(म.प्र.)

RITIKA PATHAK Digitally signed by RITIKA PATHAK Date: 2025.11.14 18:14:04 +0300